भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3184**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**झारखंड में महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना किया जाना**

**3184. डा॰ प्रदीप कुमार बालमुचूः**

 क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को झारखंड राज्य सरकार से राज्य के नवनिर्मित जिलों में महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक जिले के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और वर्तमान में कितनी धनराशि जारी की जा रही है; और

(घ) ये केंद्र कब तक स्थापित किए जाएंगे?

**उत्‍तर**

डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के जरिये ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र नामक नई स्कीम का अनुमोदन किया है। ब्लॉक स्तरीय पहल के रूप में 115 अति पिछडे जिलों में कॉलेज छात्र वालिंटियर्स के जरिये सामुदायिक विनियोजन परिकल्पित है और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 50 बेहद पिछडे जिले (प्रति जिला 8 ब्लॉक) सम्मिलित किये जाने हैं। ब्लॉक स्तरीय कार्यकलापों के लिए वार्षिक बजट 35.36 लाख रूपये प्रति ब्लॉक है। महिलाओं के लिए नए जिला स्तरीय केंद्र 640 जिलों में चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित किये जाने की परिकल्पना की गई है (वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 220 जिले, 2018-19 में अन्य 220 जिले तथा 2019-20 में शेष 200 जिले)। ये केंद्र महिला केंद्रिक स्कीमों में सहायता प्रदान करने और जिला स्तर पर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ के लिए पैरवी करने हेतु गांव, ब्लॉक और राज्य स्तर पर लिंक के रूप में कार्य करेंगे। प्रत्येक जिला स्‍तरीय महिला केंद्र के लिए वार्षिक बजट 12.30 लाख रूपये है। वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में, केंद्र और राज्‍य के बीच 60:40 के अनुपात में लागत के बटवारे के आधार पर राज्‍य सरकार के माध्‍यम से इस स्‍कीम के क्रियान्‍वयन के लिए झारखंड राज्‍य को चार महीनों (दिसंबर, 2017 से मार्च, 2018) के लिए केंद्रीय हिस्‍से के रूप में 17.76 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्‍त की गई है।

\*\*\*\*\*